अतिआवश्यक/ समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी, हरदोई।

संख्याः– ५३२ /सी0आर0ए0–दै0आ0 /2023–24 दिनांकः 27 .01.2024

विषयः– जनपद हरदोई में तहसीलवार राज्य आपदा मोचक निधि से प्रत्येक तहसील 20–20 (16 पुरुष एवं 04 महिला) आपदा मित्र परियोजना संचालित/क्रियान्वित किये जाने के सम्बंध में।

1. समस्त उप जिलाधिकारी,जनपद हरदोई।
2. समस्त तहसीलदार,जनपद हरदोई।

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक संख्या–907/पी.टी.सी./प्रशि.–आपदा मित्र/2023–24 दिनांक–01 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेखनीय है कि है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 01 जून, 2023 को प्राधिकरण के भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास के अवसर पर प्रदेश के समस्त अवशेष जनपदों में भी आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किये किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र संख्या–495/पी.सी.टी. /प्रशि.–आपदा मित्र/2023–24, दिनांक–18 अगस्त 2023 एवं पत्रांक संख्या–736/पी.सी.टी./प्रशि. –आपदा मित्र/2023–24, दिनांक–16 नवम्बर, 2023 के क्रम में अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी की दिनांक 15 दिसम्बर 2023 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक की कार्यवृत्त के पत्र संख्या–454704/2023, दिनांक–22 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रदेश के अवशेष 48 जनपदों में राज्य आपदा मोचक निधि से आपदा मित्र परेयोजना संचालित/क्रियान्वित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तद्क्रम में वर्ष 2019–20 से 2022–23 में प्रदेश में विभिन्न आपदाओं से हुई जनहानि की संख्या (प्रति संग्लन) के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अवशेष 48 जनपदों में 02 चरणों में 100–100 वॉलन्टियर्स को माह जनवरी, 2024 से माह अगस्त, 2024 तक कुल 09 बैचों में आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके प्रथम चरण में जनपद हरदोई भी सम्मिलित है।

प्रदेश स्तर पर अवशेष 48 जनपदों में संचालित/क्रियान्वित आपदा मित्र परियोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कुल 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेगें (बैंचवार एवं जनपदवार विवरण संलग्न):–

1. प्रथम चरण में 24 जनपदों के कुल 2400 वॉलन्टियर्स हेतु माह जनवरी 2024 से माह मार्च 2024 तक 04 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
2. द्वितीय चरण में 24 जनपदों के कुल 2400 वॉलन्टियर्स हेतु माह मई 2024 से माह जुलाई 2024 तक 04 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
3. उपरोक्त 08 बैचों में प्रशिक्षण हेतु अवशेष वॉलन्टियर्स के लिए एक अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण बैच का संचालन माह अगस्त 2024 में किया जाएगा।
4. इस प्रकार कुल 09 प्रशिक्षण बैचों का संचालन राज्य आपदा मोचन बल, उ0प्र0 द्वारा किया जाएगा।

जनपद स्तर पर वॉलन्टियर्स का चयन किये जाने हेतु अनिवार्य अर्हताएं एवं निर्धारित मानक निम्नानुसार हैं–

1. आयु सीमा– 18 से 40 वर्ष के मध्य। पूर्व सेना अधिकारी, सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों, इंजीनियरों के लिए आयु में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जा सकती है।
2. जनपद हरदोई का मूल निवासी होना चाहिए।
3. न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र अनिवार्य।
5. एन.वाई.के.एस., एन.सी.सी., एन.एस.एस. और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से कम से कम 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों की भागीदारी अनिवार्य होगी। शेष 50 प्रतिशत स्वंयसेवकों के चयन में पूर्व सैनिकों, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के कर्मियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. प्रशिक्षित किये जाने वाले कुल स्वयंसेवकों में से 80 प्रतिशत पुरूषों तथा 20 प्रतिशत महिला स्वयंसेवकों की भागीदारी अनिवार्य।
7. आपदा प्रबंधन एवं बचाव कार्यों में अनुभव प्राप्त कर्ताओं को वरीयता प्रदान की जायेगी।

क्रं सं	पदनाम	जनपद में आपदा मित्रों के पदो की कुल संख्या	प्रति तहसील हेतु पदो की संख्या			अन्य विवरण
			पुरूष	महिला	कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आपदा मित्र	100 पद	16	04	20	–

अतः उपरोक्तानुसार जनपद में प्रति तहसील कुल 20–20 आपदा मित्र, जिसमें (16 पुरूष वॉलन्टियर्स एवं 04 महिला वॉलन्टियर्स) आपदा मित्र परियोजना संचालित/क्रियान्वित किये जाने हेतु उपरोक्त अनिवार्य अर्हताएं एवं निर्धारित मानकों के अनुसार वॉलन्टियर्स का तहसीलवार (आवेदन पत्र प्राप्त करते हुये) चयन किये जाने की अग्रिम कार्यवाही एवं प्रशिक्षण हेतु चयनित वॉलन्टियर्स की सूची जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरदोई को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से दिनांक–**05 फर**वरी, 2024 की सायं 04:00 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोक्त (आवेदन पत्र का प्रारुप)।

(मंगला प्रसाद सिंह)
जिलाधिकारी,
हरदोई।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हरदोई को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., हरदोई को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त की सूचना को एन.आई.सी. हरदोई की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
3. जिला सूचना अधिकारी, हरदोई को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रसारित प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
4. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, हरदोई को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त की सूचना कलेक्ट्रेट, हरदोई के सूचना पट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी, 27/01/24
हरदोई।

मुख्यमंत्री आपदा मित्र योजना
आपदा मित्र पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारुप

1. विज्ञापन संख्या..
2. आवेदित पद का नाम..
3. अभ्यर्थी का नाम..
4. पिता/माता का नाम..
5. राष्ट्रीयता..
6. जन्मतिथि..
7. स्थायी पता..
8. पत्राचार हेतु पता...

   ....
9. मो0नं0..
10. ई–मेल..
11. आधार नं0...
12. योग्यता का विवरण–

क.सं.	शैक्षिक योग्यता	वोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

अनुभव का विवरण–

क. सं.	अनुभव/अन्य विवरण

घोषणाः–

मैं श्री/श्रीमती/कु0...प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरे अभ्यर्थन को निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

संलग्नकों का विवरणः–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक एवं स्थान–